



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-06082025-265232
CG-WB-E-06082025-265232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3504]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

No. 3504]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

रेल मंत्रालय

मेट्रो रेलवे

अधिसूचना

कोलकाता, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3590(अ).—कोलकाता महानगर में मेट्रो रेलवे के न्यू गरिया - दमदम एयरपोर्ट परियोजना (1 व 2 चरण) के न्यू टाउन अनुरक्षण डिपो के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, स्ट्रीट, सड़क अथवा पथ या उनके उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार के रूप में अपेक्षित हैं।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसी अतिरिक्त भूमि, भवन, स्ट्रीट, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकारलोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और जबकि, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से संबंधित योजना आरेख सं. आरवीएनएल/कोल/मेट्रो/न्यूटाउन डिपो/1/2025, सक्षम प्राधिकारी, 39/1, रास बिहारी एवेन्यू, (प्रथम तल), कोलकाता-700026 के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार मेट्रो रेलवे (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि, भवन, स्ट्रीट, सड़क, रास्ता या उनके उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार के रूप में अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के सार की प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अनुसूची में यथा उल्लिखित भूमि, भवन, स्ट्रीट, पथ, सड़क या रास्ता या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार के लिए

उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार के अधिग्रहण के विरुद्ध आक्षेप कर सकेगा। उपधारा (1) के अधीन हर आक्षेप लिखित में सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा और उसमें उसके आधार वर्णित होंगे। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा एवं आक्षेपों की सुनवाई तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, जैसी सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात आदेश द्वारा आक्षेपों को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

निजी भूमि के लिए भूमि अनुसूची

न्यूटाउन डिपो के निर्माण के लिए पहले से अधिसूचित भूमि के अतिरिक्त अधिग्रहित (अर्थात प्रथम चरण और द्वितीय चरण) की जाने वाली भूमि की अनुसूची								
क्र . सं.	मौज़ा एवं क्षेत्राधिकार सूची सं.	संशोधात्मक भूमिसुधार / .दाग सं		अधिग्रहित किए जाने वाले भूमि का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	भूमि का वर्गीकरण	आर .एस . दाग की स्वामित्व स्थिति	अधिग्रहण का प्रकार	अधिग्रहण के तहत भूखंड की सीमा
		आर/.एस . एल.आर . दाग सं.	सम्पूर्ण या आंशिक					
1.	जगदीशपुर, क्षेत्राधिकार सं. 27, थाना – राजारहाट, जिला – उत्तर 24 परगना	710/901	आंशिक	3029.693	शाली	निजी	स्थायी	उत्तर: आरप्लॉट .एस . सं710 दक्षिण: आरप्लॉट .एस . सं722 पूर्व : आरप्लॉट .एस . सं703 पश्चिम : आर .एस . प्लॉट सं720 समस्त मौज़ा – जगदीशपुर, क्षेत्राधिकार सं. 27

[फा. सं. एमआरटीएस/डब्ल्यू-90/49बी/(भूमि अधिग्रहण)/भाग-V]

अजय कुमार मुख्य इंजीनियर.एवं अनु .परि/

MINISTRY OF RAILWAYS

METRO RAILWAY

NOTIFICATION

Kolkata, the 5th August, 2025

S.O. 3590(E).— WHEREAS, the land, building, street, road, passage or the right of user or easement therein, specified in the Schedule, are required for the purpose of construction of New Town Maintenance Depot of New Garia– DumDum Airport Metro project (Phase-1 & Phase-2) and other works connected therewith in the metropolitan City of Kolkata;

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that such requirement of additional lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein are required for public purpose;

AND WHEREAS, the plan bearing drawing number RVNL/KOL/METRO/NEWTOWN DEPOT/1/2025 of the area specified in the Schedule, is available for inspection in the office of the Competent Authority at 39/1, Rash Bihari Avenue, (1st Floor), Kolkata-700026;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government hereby declares its intention to acquire the additional lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, as specified in the Schedule;

Any person interested in the said lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, as mentioned in the Schedule may, within twenty-one days from the date of publication of the substance of this notification, object under sub-section (1) of section 9 of the said Act to such acquisition. Every objection under sub-section (1) shall be made to the Competent Authority in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made, by the Competent Authority under Sub Section (2) of Section 9 of the said Act shall be final.

LAND SCHEDULE FOR PRIVATE LAND

SCHEDULE OF LAND TO BE ACQUIRED IN ADDITION TO LAND ALREADY NOTIFIED (i.e. IN 1 st PHASE & 2 nd PHASE) FOR CONSTRUCTION OF NEWTOWN DEPOT								
Sl. No.	Mouza & Jurisdiction List No.	Revisional/Land Reforms Dag No.		Area to be Acquired in Sqm.	Classification of Land	Ownership status of the R.S. Dag	Nature of Acquisition	Boundary of Plot under Acquisition
		R.S./L.R. Dag No.	Full Or Part					
1.	Jagadishpur, J.L. No. 27, PS – Rajarhat, Dist. – North 24 Parganas	710/901	Part	3029.693	Shali	Private	Permanent	North: RS Plot No. 710 South: RS Plot No. 722 East: RS Plot No. 703 West: RS Plot No. 720 All of Mouza – Jagadishpur, J.L. No. 27

[F. No. MRTS/W-90/49B/LA/Pt.V]

AJAY KUMAR, Chief Engineer/O&M